

(नियम 44 (4) के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्रारूप-छः)

मैं, अपनी मृत्यु की दशा में गण्डल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूँ :-

क्रम संख्या	नामिति/नामितियों का नाम व पता	हिताधिकारी से सम्बन्ध	आयु	नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतिशत

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश:-

1. आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रमशः आवेदक तथा उसके पिता या पति का पूरा नाम अंकित किया जाना है।
2. कॉलम तीन (एक) में आवेदक का वह पता अंकित किया जाना है जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा है। पता पूर्ण लिखा जावे। इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थायी निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
3. कॉलम चार में आवेदक अजा/अजजा आदि जिस श्रेणी में हो, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों को काट दिया जाना है, जिससे आवेदक की श्रेणी स्पष्ट हो सके।
4. कॉलम पाँच में आवेदन की तिथि पर आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि दिन, माह, वर्ष में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5. कॉलम संख्या सात में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण की हो) अंकित की जानी है।
6. कॉलम संख्या आठ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाना है।
7. कॉलम संख्या नौ में आवेदक के परिवार का विवरण अंकित किया जाना है।
8. कॉलम संख्या दस में यदि आवेदक का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम तथा आधार नम्बर, भामाशाह कार्ड, ई.एस.आई./ई.पी.एफ. खाता संख्या और बी.पी.एल. का विवरण अंकित किया जाना है।
9. कॉलम संख्या ग्यारह में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है, उसके सहित पिछले 12 माह में किए गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना है। वर्तमान नियोजक का नाम पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे, जिससे आवश्यक होने पर पुष्टि की जा सके।
10. कॉलम बारह में आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की सत्यता की घोषणा की जानी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित हो।
11. कॉलम तेरह में आवेदक के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र है, जिसे विवरण अंकित कर श्रमिक के नियोजक या ठेकेदार द्वारा अथवा निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा अथवा संबंधित पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ग्राम सचिव) द्वारा अथवा क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु आवश्यक है।
12. उपरोक्त वर्णित प्रारूप-छः में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित किया जाना है।

विशेष: पूर्ण रूप से भरे आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी है तथा दो फोटो संलग्न की जानी हैं) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क 25 रुपये तथा अंशदान राशि 5 रुपये मासिक/60 रुपये वार्षिक भी जमा करानी होगी।

(भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की सभी योजनाओं के लिए एक ही आवेदन पत्र)

“सरल-2016”

प्रत्येक योजना के लिए इसी सरल आवेदन पत्र का प्रयोग करें

.....(योजना का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है)

1. हिताधिकारी का नाम:.....
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि व आयु: (दिन/माह/वर्ष) आयु (वर्षों में)
4. पता : (i) मकान संख्या (ii) मोहल्ला/गाँव
(iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)/वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र)
(iv) ब्लॉक/शहर (v) जिला
5. हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य (बेलदार, मिस्त्री, बिजली का कार्य, नल का कार्य आदि) :.....
6. हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी—
(6.1) भामाशाह कार्ड/नामांकन संख्या (6.2) आधार कार्ड संख्या
(6.3) मोबाईल नम्बर (6.4) हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि
(6.5) अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि
(6.6) पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
(श्रम विभाग/बीडीओ/सानिदि, पीएचईडी अथवा जल संसाधन विभाग का आईएन आदि)
- 6.7 हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण—
(i) बैंक का नाम (ii) बैंक की शाखा का नाम
(iii) खाता संख्या (iv) बैंक का आईएफएससी कोड
(यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड/नामांकन तथा बैंक खाता विवरण अंकित करें।)
7. यदि पति-पत्नी दोनों हिताधिकारी हैं, तो पति/पति के सम्बन्ध में जानकारी—
(7.1) हिताधिकारी (पति/पति) का नाम (7.2) पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि

हिताधिकारी की
पासपोर्ट साईज
की फोटो चिपकाएँ

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि

हिताधिकारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सभी योजनाओं के साथ समान रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज —

- (1) हिताधिकारी के परिचय पत्र की प्रति (2) आधार कार्ड की प्रति (3) भामाशाह कार्ड/नामांकन की प्रति तथा
- (4) बैंक पास बुक के प्रथम पेज की प्रति

योजनावार आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना—(1) छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी जानकारी व शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र (प्रपत्र-1)(2) उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकतालिका की प्रति
2. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना—(1) आवास निर्माण सम्बन्धी जानकारी व घोषणा(प्रपत्र-2) (2) बीपीएल/अ.जा./अ.ज.जा./विशेष योग्यजन/पालनहार परिवार (यदि लागू हो) के प्रमाण पत्र की प्रति (3) वार्षिक आय प्रमाण पत्र की प्रति (4) भूखण्ड के विवाद रहित होने के प्रमाण पत्र की प्रति (5) बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति (6) आवास के अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
3. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा बीमा योजना— (1) योजना सम्बन्धी विवरण व घोषणा पत्र (प्रपत्र-3) (2) योजनाओं की प्रीमियम राशि जमा कराने सम्बन्धी बैंक खाते पासबुक पृष्ठ की प्रति
4. शुमशक्ति योजना— (1) पुत्री के बैंक खाते का विवरण (2) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-4)
5. सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना— (1) मृत्यु प्रमाण पत्र(सामान्य मृत्यु) (2) एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट (दुर्घटना मृत्यु) (3) चिकित्सक का प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर) (4) योजना सम्बन्धी विवरण और घोषणा (प्रपत्र-5)
6. प्रसूति सहायता योजना— (1) प्रसव सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-6) (2) अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव होने का डिस्चार्ज टिकट (3) प्रसूता की आयु का प्रमाण पत्र (4) संतान संबंधी प्रमाण पत्र (ममता कार्ड)
7. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना— (1) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-7) (2) न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र (3) मृत्यु प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
8. निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना— (1) योजना सम्बन्धी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-8) (2) औजार खरीदने का मूल बिल

आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट bocw.labour.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

प्रपत्र-1

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम) घोषणा करता हूँ कि (छात्र/छात्रा का नाम), जिसकी फोटो साथ में लगाई है, मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नि है। उसने शैक्षणिक वर्ष..... में कक्षा.....की परीक्षा स्कूल/कॉलेज (शिक्षण संस्था का नाम व पता) से श्रेणी/ग्रेड..... में उत्तीर्ण की है। (अंक तालिका की प्रति संलग्न करें)। वह वर्तमान में शिक्षण संस्थान में कक्षा..... में पढ़ रहा है/नहीं पढ़ रहा है। (यदि 12वीं कक्षा या पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे प्रवेश नहीं लिया हो तो स्पष्ट अंकित करें)

छात्र/छात्रा की पासपोर्ट साईज फोटो लगाएं

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दिया गया समस्त विवरण सत्य है तथा विवरण मिथ्या पाये जाने पर मैं योजना में प्राप्त होने वाली राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण-पत्र

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाये जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा हो या अन्तिम बार अध्ययनरत रहा हो)

प्रमाणित किया जाता है कि (छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि (पिता/पति का नाम) इस शैक्षणिक संस्था में कक्षा/पाठ्यक्रम के वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत है/उसने उक्त कक्षा/पाठ्यक्रम इस संस्था से शैक्षणिक सत्र..... में उत्तीर्ण की है (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)। यह संस्था विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध है तथा केन्द्र/राज्य सरकार (मान्यता का उल्लेख करें) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

शैक्षणिक संस्थान का पता—

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम (संस्था की मुहर सहित)

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

प्रपत्र-2

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पिछले वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य रहा/रही हूँ। वर्तमान में मैं/अन्तिम बार मैंने..... (नियोजक/ठेकेदार का नाम)..... (ठेकेदार/नियोजक का पता) मोबाइल नम्बर..... के संस्थान..... (कार्य स्थल का पता) में दिनांक.....से.....तक कार्य कर रहा हूँ/किया है। मैं बीपीएल श्रेणी/अनु.जा./अनु.ज.जा./विशेष योग्यजन/पालनहार परिवार श्रेणी का व्यक्ति हूँ (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)।

स्वयं मेरे या पत्नि/पति या आश्रित पुत्र/पुत्री के नाम पर पहले से मकान नहीं है तथा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान नहीं किया गया है। मेरी वार्षिक आय रुपये (राशि लिखें) है (प्रमाण-पत्र लगावें)

मैंने ग्राम/कस्बा/शहर..... में स्थित प्लॉट/भूखण्ड संख्या जिसका क्षेत्रफल..... है तथा जो मेरे/मेरी पत्नि/पति के स्वामित्व में है (स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें) पर अपने रहने के लिए आवास का निर्माण कर रहा हूँ/किया गया है। उक्त भूखण्ड सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। (राजस्व अधिकारी के दस्तावेज की प्रति लगावें) मैंने उक्त भूखण्ड पर घर बनाने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान..... (बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम व पता) से आवास ऋण राशि (राशि लिखें) लिया है। (बैंक के ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति लगावें) अथवा

मैंने बैंक के अलावा अन्य स्रोत से उक्त भूखण्ड पर आवास का निर्माण किया है/कर रहा हूँ। जिसकी अनुमानित निर्माण लागत रुपये (लागत राशि लिखें) है। (निर्माण लागत का सरकारी अभियन्ता का प्रमाण पत्र लगावें)।

अथवा

मुझे सरकार की आवास योजना (आवास योजना का नाम) में आवास आवंटित हुआ है/होना है (आवंटन पत्र की प्रति लगावें)। इस आवास के लिए मुझे राशि जमा करानी है/करायी है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सत्य है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण मिथ्या पाया जाता है तो मैं योजना में प्राप्त होने वाली राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

प्रपत्र-3

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम) घोषणा करता हूँ कि मैं निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने स्वयं के बैंक बचत खाते से, जिसका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12/- रुपये दिनांक को/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330/- रुपये दिनांक को (बैंक खाते से राशि योजना में जमा करने की तिथि अंकित करें)/अटल पेंशन योजना में अंशदान राशि रुपये (जमा कराई गई वार्षिक अंशदान राशि अंकित करें) जमा कराई है। (जिस योजना की प्रीमियम/अंशदान राशि जमा नहीं कराई हो उसे काट दें)। प्रमाण स्वरूप बैंक बचत खाते की पास बुक के संबंधित पेज की प्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

शुभ शक्ति योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

प्रपत्र-4

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पिछले वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य रहा/रही हूँ। वर्तमान में मैं/अन्तिम बार मैंने..... (नियोजक/ठेकेदार का नाम)..... (ठेकेदार/नियोजक का पता) मोबाइल नम्बर..... के संस्थान..... (कार्य स्थल का पता) में निर्माण श्रमिक के रूप में दिनांक.....से.....तक कार्य कर रहा हूँ/किया है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

लड़की की पासपोर्ट साईज फोटो लगाएं

मेरी पुत्री..... (पुत्री का नाम), जिसकी फोटो साथ में लगाई है, जिसकी जन्म तिथि है, वह कक्षा..... उत्तीर्ण है (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) और अविवाहित है। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण सत्य है। यदि प्रस्तुत विवरण मिथ्या पाया जाता है तो मैं योजना में प्राप्त होने वाली राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूँगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

सत्यापनकर्ता राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र

मैं..... पदनाम..... कार्यालय का नाम..... यह सत्यापित करता हूँ कि मैं (हिताधिकारी का नाम) को जानता हूँ। वह गत..... वर्षों से सामान्य रूप से निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य रहा/रही है तथा उसकी पुत्री..... (पुत्री का नाम) अविवाहित है।

हस्ताक्षर अधिकारी

नाम—

पदनाम व कार्यालय (मुहर लगाएं)

सत्यापन अधिकारी का मोबाइल नम्बर (अनिवार्य)

सत्यापन अधिकारी के पहचान पत्र की फोटो प्रति (अनिवार्य)

(हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में)

मैं (हिताधिकारी के नामित का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि (पिता/पति का नाम) निवासी (पता) घोषणा करता हूँ कि मेरे पिता/पति/पत्नि (मृतक हिताधिकारी का नाम) निर्माण श्रमिक थे। मृत्यु से पूर्व वह (नियोजक/ठेकेदार का नाम) (ठेकेदार/नियोजक का पता) के संस्थान (कार्य स्थल का पता) में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। जिनकी सामान्य मृत्यु/दुर्घटना में मृत्यु (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) दिनांक को हुई है। (सामान्य मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगावें)

अथवा (हिताधिकारी के घायल होने पर)

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि (पिता/पति का नाम) निर्माण श्रमिक हूँ। वर्तमान में मैं/अन्तिम बार मैंने (नियोजक/ठेकेदार का नाम) (ठेकेदार/नियोजक का पता) मोबाइल नम्बर के संस्थान (कार्य स्थल का पता) में निर्माण श्रमिक के रूप में दिनांक से तक कार्य कर रहा हूँ/किया है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) दिनांक (दुर्घटना की तारीख) को (स्थान जहाँ दुर्घटना हुई) में घटित दुर्घटना में मुझे शारीरिक क्षति (क्षति का विवरण दें) इसके कारण मैं दिन तक कार्य करने में असमर्थ रहा हूँ/स्थायी पूर्ण अपंगता हो गई है/स्थायी आंशिक अपंगता हो गई है (जो लागू नहीं हों उसे काट दें)। (चिकित्सक का प्रमाण पत्र तथा अस्पताल में भर्ती रहने का डिस्चार्ज टिकिट साथ लगावें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतया सत्य है।

हिताधिकारी या नामित के हस्ताक्षर
नाम

प्रसूति सहायता योजना

प्रपत्र-6

मैं (हिताधिकारी का नाम) पत्नि (पति का नाम), आयु (वर्षों में) (आयु प्रमाण-पत्र की प्रति लगाएँ) निर्माण श्रमिक हूँ तथा वर्तमान में मैं/अन्तिम बार मैंने (नियोजक/ठेकेदार का नाम) (ठेकेदार/नियोजक का पता) मोबाइल नम्बर के संस्थान (कार्य स्थल का पता) में निर्माण श्रमिक के रूप में दिनांक से तक कार्य कर रही हूँ/किया है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

मैंने दिनांक को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल (उस अस्पताल का नाम पता जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है) में पुत्र/पुत्री को जन्म दिया है। (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट/प्रमाण-पत्र लगावें) इससे पूर्व मेरे (सन्तानों की संख्या) सन्तान है। (ममता कार्ड या अन्य प्रमाण-पत्र की प्रति लगावें) यह आवेदन मैंने प्रथम/द्वितीय बार (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) योजना का हितलाभ प्राप्त करने हेतु दिया है।

मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण सही है। यदि मेरे द्वारा दो से अधिक बार प्रसूति सहायता लिया जाना अथवा मिथ्या आधार पर हितलाभ लेने का दोषी पाया जाता है तो मैं सहायता राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूँगी।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

सिलिकोसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
(सिलिकोसिस पीडित होने पर)

प्रपत्र-7

मैं (हिताधिकारी का नाम) पत्नि (पति का नाम), घोषणा करता हूँ कि मैं निर्माण श्रमिक हूँ तथा खान या खदानों से बाहर पत्थर तोड़ने, काटने, पीसने या तराशने का कार्य कारता/करती हूँ। मुझे सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड (स्थान का नाम) द्वारा जारी किया गया है (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें)। मैं अस्वस्थ होने के कारण पिछले वर्ष माह से कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ/अथवा वर्तमान में मैं (नियोजक/ठेकेदार का नाम) (ठेकेदार/नियोजक का पता) के संस्थान (कार्य स्थल का पता) में कार्य कर रहा हूँ (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)। मेरे द्वारा राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हेल्थ सैस फण्ड से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा (सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर)

मैं (हिताधिकारी के नामित का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि (पिता/पति का नाम) निवासी (पता) घोषणा करता हूँ कि मेरे पिता/पति/पत्नि (मृतक हिताधिकारी का नाम), जिनकी मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हुई है (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें), खान या खदानों से बाहर पत्थर तोड़ने, काटने, पीसने या तराशने का कार्य करते थे। उनके द्वारा या उनके लिए राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हेल्थ सैस फण्ड से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है/थी।

हस्ताक्षर हिताधिकारी अथवा नामित

निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना
हिताधिकारी द्वारा घोषणा

प्रपत्र-8

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं (निर्माण श्रमिक का ट्रेड या कार्य लिखें) का कार्य पिछले वर्षों से कर रहा/कर रही हूँ। मेरे द्वारा दिनांक को (दुकान का नाम पता जिससे औजार खरीदे गये हैं) से मेरे व्यवसाय/कार्य से संबंधित औजार/टूलकिट 1..... 2....., 3....., 4....., 5....., 6..... (खरीदे गये औजारों का नाम लिखें) खरीदे गये हैं (अपने नाम से खरीदे गये औजार/टूलकिट का मूल बिल स्वयं का हस्ताक्षर कर संलग्न करें)। मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतया सत्य है।

हस्ताक्षर हिताधिकारी
हिताधिकारी का नाम

घोषणा-पत्र (अ)
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम)..... पुत्र/पत्नी/पुत्रीश्री

..... उम्र..... वर्ष, निवासी

(ग्राम पंचायत/ वार्ड/पंचायत समिति/नगर पालिका) जिला..... का रहने वाला हूँ । मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर..... है।

2. यह कि, मुझ घोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर..... ग्राम....., ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड नं....., तहसील..... जिला....., में स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया है। घोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक है।

3. मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया गया है। मेरे द्वारा कुलवर्ग फुट निर्माण कार्य दिनांकसे दिनांकके मध्य कराया गया जिसके निर्माण/नवीनीकरण में कुल अनुमानित रुपयेकी लागत आई है। इस पर मेरे द्वारा निर्माण सेस का भुगतान किया गया/देय नहीं है।

4. यह कि मुझ घोषणाकर्ता के मकान पर श्री/श्रीमतीपत्नी/पुत्र..... निवासी.....ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुल.....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....का कार्य किया है।

5. यह है कि उपरोक्त श्रमिक को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रुपये.....प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया है एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

दिनांक.....

अंगूठे का निशान

(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

स्थान.....

घोषणा-पत्र-(ब)
(ठेकेदार द्वारा)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र.....(वर्ष), निवासी
वार्ड.....ग्राम/काँलोनी.....पंचायतसमिति/नगर
पालिका.....जिला..... का रहने वाला हू। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह
नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. मैं/मेरा संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक
.....है। मेरा/संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन नं....., पैन नंहै। मैं
.....श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हू।

3. यह कि(मुख्य नियोजक का नाम व पता), जिसकी प्रोजेक्ट लागत लगभग
रूपये.....है तथा कुल निर्माण क्षेत्रवर्ग फुट है, का निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया गया है। उक्त निर्माण पर नियमानुसार देय
उपकर राशिरूपये दिनांकको जमा करा दिये है/उपकर राशि देय नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक.....से
दिनांक.....के मध्य कराये गये उक्त निर्माण में निम्नलिखित श्रमिक नियोजित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम- पिता का नाम- क्या कार्य किया- कब से कब तक कार्य किया

I

II

III

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि इस निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती
.....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... आधार
नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुलदिन
बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से पूर्ण भुगतान
कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(ठेकेदार का नाम मय सील)